भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत नई प्रक्रियाएं

बलात्कार की पीड़िता

- बलात्कार की पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर जांच अधिकारी को भेजनी होगी।
- बलात्कार पीड़िता के बयान को मोबाइल या किसी भी ऑडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकेगा।
- बलात्कार पीड़िता, सामूहिक बलात्कार पीड़िता, एसिड हमले की पीड़िता का बयान, जहां तक साध्य हो एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में एक पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा।

ऑनलाइन एफआईआर

- बलात्कार/सामूहिक बलात्कार सहित संज्ञेय अपराध के संबंध में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की एक सकती है।

जीरो एफआईआर

- संज्ञेय अपराध के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा सकेगी।

सामुदायिक सेवा

- कारागृहों पर बोझ कम करने के लिए सामुदायिक सेवा को भारतीय न्याय संहिता में पहली बार एक शास्ति के रूप में शामिल किया गया है।
- सामुदायिक सेवा का अर्थ वह कार्य है जो कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध हुए व्यक्ति की शास्ति के रूप में पालन करने के लिए आदेशित किया जायेगा जो कि सामुदायिक हित में हो एवं जिसके एवज में अपराधी किसी भी तरह की पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।

वीडियो मोवाइल रिकॉर्डिंग

- मोबाइल फोन में वीडियो रिकोर्डिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक दस्तावेज एवं दस्तावेजी साक्ष्य होगा।
- **अपराध से अर्जित धन की वसूली**
- अपराध से अर्जित की गयी सम्पत्ति की वसूली के लिए पुलिस आवेदन कर सकती है। मजिस्ट्रेट उसे कुर्क और जब्त कर सकता है और मुकदमे के नतीजे की प्रतीक्षा किए बिना जांच के दौरान ही पीड़िता को वितरित कर सकता है।
- अपराध की अर्जित सम्पति सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी (सम्पति की सिविल जब्ती)

अभियोजन की वापसी

- पीड़िता व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना अभियोजन वापस नहीं लिया जाएगा।

पुलिस रिपोर्ट की आपूर्ति

- पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति 14 दिनों के भीतर आरोपी और पीड़ित को निःशुल्क दी जानी है।

पुलिस जाँच

- पुलिस अधिकारी 90 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक संचार सहित किसी भी माध्यम से सूचना देने वाले या पीड़ित व्यक्ति को उसकी प्रगति के बारे में सूचित करेगा।

फास्ट ट्रैकिंग प्रक्रियाएँ

- छोटे अपराधों के लिए जहां शामिल राशि 20000 रूपये से अधिक नहीं है, वहाँ संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया है।
- गवाहों से साक्ष्य मोबाइल फोन सहित अन्य ऑडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया जा सकता है।
- आरोपी अदालत में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपस्थित हो सकते है।
- जहां परिस्थितियां किसी भी पक्ष के नियंत्रण से परे हैं, दूसरे पक्ष की आपत्तियों को सुनने के बाद और लिखित में कारणों को दर्ज करने के बाद अदालत द्वारा दो से अधिक स्थगनादेश नहीं दिया जा सकता है।
- घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जाँच, मुकदमा या निर्णय की प्रक्रिया चलाई जा सकेंगी (धारा 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश अभियोजन

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश